फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मुरादखान पुत्र बेगलाखान जाति मुसलमान, निवासी बोहरासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (03)		ओढाणी पत्नी मांधल फौत के कायम मुकाम जाति मुसलमान, निवासी बोहरासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88, 53, 188) मुकदमा नम्बर 45/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.2024	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 10.06.24 को पेश हो। सही/- सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	2585-91 03/5/2024
10.6.24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस व डिलेवरी रिपोर्ट पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण का इन्तजार होकर दिनांक 19.07.24 को पेश हो। सही/- सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
19.7.24	श्रीमान् पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 2.9.24 को पेश हो।	
2.9.24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण को उपस्थिति हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 27.9.24 को पेश हो। सही/- सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Scanned with OKEN Scanner

25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.26	पत्रावली पेश। वादी वकील अनुपस्थित। पत्रावली में पैरवी हेतु न्यायालय में वादी व वादी वकील को [illegible] करवाने की जाने के बावजूद अनुपस्थित। पत्रावली में प्रभावी पैरवी नहीं होने व अनुपस्थित रहने पर पत्रावली इसी स्टेज पर अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल होकर, नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	